

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय मूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प निम्बाहेडा ब्ला

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निरुखी व मूअनि रायला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निरुखी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सन्वत् १९५१-५२ में खाता संख्या 131 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
①	निरुखी	<del>131</del> 131	पन्ना मोहन फि मरा ७५० चमार -	पन्ना मोहन फि मरा ७५० बरवा .

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
 मूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला = भीलवाडा

क्रमांक :- 752/17

दिनांक :- 14-7-17

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
 मूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा